महात्मा गाँधी
शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय

खरसिया, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

प्रवेश विवरणिका

Information & Admission Brochure

MAHATMA GANDHI
GOVERNMENT ARTS & SCIENCE COLLEGE
KHARSIA, DIST. RAIGARH (C.G.)

From the Desk of Principal...

Dear Students,

It Gives me great pleasure to welcome you to the Mahatma Gandhi Govt. Arts & Science College, Kharsia & I Congratulate you for deciding to persue your regular studies in our growing institution, This Government College, established & runned by the C.G. State Government, Higher Educatioin Department and affiliated to the ***Bilaspur University,*** *Bilaspur has the objective of providing higher education to all those who aspire for it, Our Values are '* ***target focus', total quality for excellence', academic ethics,' innovation & speed', 'Mutual respect & trust & trust', 'Pride an our institution & its family'.***

The College is committed to excel in teaching, training, capacity building, scholarship, research, extension & public service, Our college values the appropriate use of information & communication technologies. Self instructional print materials (especially, ***reference & bibliography****), audio & video programme, face to face counseling sessions, periodic assignments, home work, local, monthly, quarterly, half yearly & preannual tests & Project works, constitute the* ***'teaching-learning methodology'****. For 'laboratory & practical', 'intensive courses' in science, professional & vocational courses, the good physical & infrastructural laboratory facilities are available in our institution.*

The College functions through its academic & teaching staff, ministerial staff, members of Janbhagidari Samiti, regular students & its large network of alumni, spread all programmes ranging from UG level to P.G. Degree and including some UGC Career Oriented Courses - ***'Add on Course'*** *like* ***'Communicative English', 'Tourism & Travel Management' & 'Tribal Studies & Handicrafts'****. These programmes cater to a wide range of learners from diverse background including urban convent educated to rural deprived classes at all levels.*

The admission procedure starts from June 15 to July 31 every year depending on the availability of the seats decided by State Government, Higher Education Department & the University and Preparation of a Common Admission Prospectus for these programmes launching of ***'college website'*** *are some of the new initiatives being undertaken by the College administration.*

This information & Admission Brochure provide you the necessary information on nomenclature of the programmes, eligibility criteria, programme duration, fee structures etc. I hope you will find the brochure helpful in pursuing your studies in Mahatma Gandhi Govt. Arts, Commerce & Science College, Kharsia.

I wish you all success studies.

(Dr. P.C. Ghritlahare)
Principal

महात्मा गाँधी

शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय

खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

नैक द्वारा मूल्यांकित

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
से सम्बद्ध

प्रवेश विवरणिका

201....-201....

दूरभाष : 07762-272048 फैक्स : 07762-272048
e-mail : mggovtcollegekhs@gmail.com
Website : www.mggovtcollege.com

महाविद्यालय : संक्षिप्त परिचय

महात्मा गाँधी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया, जिला - रायगढ़ की स्थापना सर्वप्रथम नगर पालिका परिषद, खरसिया द्वारा स्थापित एक अशासकीय महाविद्यालय के रूप में 1964 में हुई थी, जिसके तहत् केवल कला संकाय के अंतर्गत बी.ए. की कक्षाओं का संचालन किया जाता था। तत्कालीन नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं महाविद्यालय शिक्षा समिति के पदेनअध्यक्ष स्व. श्री लखीराम अग्रवाल जी के प्रयास से यहाँ पर वाणिज्य संकाय प्रारंभ किया गया। पूरे अविभाजित मध्यप्रदेश में यह महाविद्यालय नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित एक महाविद्यालय था तथा अविभाजित रायगढ़ जिले में वाणिज्य की उच्च शिक्षा इसी महाविद्यालय में प्रारंभ की गई थी। नगर पालिका द्वारा महाविद्यालय संचालन के कार्यकाल में अनेक बाधायें आयीं परन्तु महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष श्री लखीराम अग्रवाल के क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक विकास पक्के इरादे तथा दूर दृष्टि के कारण यह महाविद्यालय निरंतर विकास करता रहा। इस दौरान महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत 1964 से 1983 तक तथा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से 1984 से शासनाधीन होते तक संबद्ध रहा। वर्तमान में यह महाविद्यालय बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध है। राज्य शासन, स्थानीय स्व-शासन / नगरीय कल्याण विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग से यह दबाव आया कि नगर पालिका परिषद का कार्य महाविद्यालय संचालित करना नहीं है तथा इसके लिये पृथक से कोई अनुदान किया जावेगा, अतः इसे बंद किया जाये। इसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता की मांग, विद्यार्थियों तथा पालकों की अभिरूचि तथा उस समय के संचालक मण्डल, पदाधिकारियों की दृढ़ इच्छा के कारण यह महाविद्यालय निर्बाध गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। इस दौरान महाविद्यालय को यू.जी.सी. एक्ट के 2एफ. तथा 12बी. के तहत् मान्यता भी मिल गई थी एवं निरंतर अनुदान भी प्राप्त हुआ।

राज्य शासन की नीति के तहत् दिनांक 19 मार्च 1984 को महाविद्यालय का शासकीय अधिग्रहण डॉ. अमिताभ लाहिड़ी, पूर्व प्राचार्य, किरोड़ीमल शासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, रायगढ़ / क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, बिलासपुर संभाग, प्रो. ए. शकूर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग तथा प्रो. व्यास नारायण पाण्डेय, के नेतृत्व में किया गया तथा इस दिनांक से नगर पालिका कला एवं वाणिज्य उपाधि महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। 1964 से 1990 तक महाविद्यालय की कक्षाऐं नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित तथा उपलब्ध कराये गये पुराने भवन में संचालित होती थी। इस दौरान महाविद्यालय में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं उच्च शिक्षा के नीतिकार डॉ. सत्य सहाय श्रीवास्तव, प्रो. बी.डी. शर्मा तथा प्रो. डी.के. बाजपेयी जैसे प्रभृति विद्वानों ने प्राचार्य के रूप में महाविद्यालय के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस महाविद्यालय के प्रारंभिक दिनों के वाणिज्य संकाय के पूर्व मेधावी छात्र श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल इसी महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्थापना काल के महाविद्यालयीन प्राध्यापकों एवं अधिकारियों में परो. दिलीप कुमार बाजपयी, परो. भागवतदास शर्मा, प्रो. सीताराम अग्रवाल (मित्तल), प्रो. रामविलास धवाईत, प्रो. भगवानधर दीवान, प्रो. कुंज बिहारी चतुर्वेदी, श्री गोविंद राम धवाईत (ग्रंथपाल), डॉ. विजेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्रो. श्रीकुमार पेल्लई, डॉ. सतीश देशपाण्डेय इत्यादि ने महाविद्यालय के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान किया।

सन् 1988 महाविद्यालय के इतिहास का स्वर्णिम वर्ष था जब खरसिया विधानसभा क्षेत्र से अविभाजित म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी उपचुनाव में क्षेत्रीय विधायक के रूप में चुने गये, जिनके द्वारा शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, खरसिया के नये शासकीय भवन के निर्माण हेतु घोषणा कर राशि स्वीकृत की गई। यह शासकीय भवन 1990 में बनकर तैयार हुआ, तब से यह

महाविद्यालय नये भवन में संचालित हो रहा है। कालांतर में खरसिया के पूर्व विधायक तथा म.प्र. शासन / छ.ग. शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय स्व. श्री नंद कुमार पटेल जी के द्वारा महाविद्यालय से लगे हुये लगभग 16 एकड़ भूमि में राज्य शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुदान से स्टेडियम का निर्माण हुआ। जिसका लाभ महाविद्यालय एवं पूरे नगर तथा क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं आम जनता को मिल रहा है। इस स्टेडियम को तकनीकी रूप से कई खेलों के लिये तैयार किया गया। इसका कुशल संचालन तथा देखरेख महाविद्यालय को स्थापना काल से क्रीड़ा अधिकारी श्री एम.डी. वैष्णव के द्वारा 2013 तक किया गया जिसे वर्तमान में डॉ. आर.के. टण्डन संभाल रहे हैं। महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थियों के लिये खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक मल्टी जिम्नेजियम भी स्वीकृत किया गया है जो नियमित विद्यार्थियों के लिये निर्धारित सीमित समय में संचालित भी किया जा रहा है।

तीव्र गति से विकास कर रहे इस महाविद्यालय में बढ़ती हुई विद्यार्थी संख्या को दृष्टिगत रखते हुये महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष स्व. श्री लखीराम अग्रवाल जी, सांसद, राज्य सभा के द्वारा 2 वृहद आकार हॉल तथा बरामदा तथा माननीय श्री नंद कुमार पटेल जी के सहयोग से राज्य शासन, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगरीय कल्याण विभाग द्वारा 4 अध्ययन कक्षों का निर्माण कराया गया।

महाविद्यालय के शासनाधीन होने के उपरांत अंचल के जाने माने अर्थशास्त्री - डॉ. अमिताभ लाहिड़ी, सुप्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ. बी.पी. त्रिपाठी, आंग्ल भाषा एवं साहित्य के विद्वान डॉ. दिनेश पाण्डेय, वाणिज्य के प्राध्यापक एस.आर. अग्रवाल, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. बी.डी. शर्मा तथा हिन्दी साहित्यकार डॉ. डी.के. बाजपेयी ने प्राचार्य तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यभार का सफलता पूर्वक निर्वहन किया। 1999 का वर्ष महाविद्यालय के इतिहास में इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि क्षेत्र के रसायन शास्त्र विभाग के ख्यात नाम प्रोफेसर एवं पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना के आधार स्तंभों में से एक - प्रो. व्यास नारायण पांडेय को राज्य शासन ने स्थाई रूप से प्रभारी प्राचार्य एवं आहरण संवितरण के रूप में पदांकित किया। उन्होंने 9 वर्षों की दीर्घ अवधि तक महाविद्यालय की सेवा की तथा जुलाई 2008 में महाविद्यालय में जाँजगीर स्थित शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थानांतरित हुये। इनके कार्यकाल में सन् 2005-06 में महाविद्यालय का भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वशासी निकाय - राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) बंगलूरु द्वारा महाविद्यालय का मूल्यांकन किया गया तथा सी++ ग्रेड प्रदान किया गया। महाविद्यालय का पुनः नैक मूल्यांकन 2014-15 में किया जाना है, जिसके लिये व्यापक तैयारियाँ की जा रही है। महाविद्यालय में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत् लाईब्रेरी एक्सटेंशन बिल्डिंग का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराया गया है। जुलाई 2008 से 17-अक्टूबर 2010 तक महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एवं आहरण संवितरण अधिकारी का दायित्व प्रो. बी.के. पटेल के कुशल मार्गदर्शन में हुआ।

महाविद्यालय में लगभग 31000 पाठ्य एवं संदर्भ ग्रंथों की सुसज्जित संग्रह है। महाविद्यालय में एक प्लेसमेंट सेल एवं वाचनालय की व्यवस्था है, जहाँ पर लगभग पचास पत्र पत्रिकाएँ नियमित रूप से आती है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक सक्रिय इकाई संचालित है। इसी तरह 28 बटालियन, रायगढ़ के तहत् महाविद्यालय में 53 कैडेट्स की एक टुकड़ी कार्यरत है। युवा रेड क्रास, छात्र कल्याण परिषद / छात्र संघ, राष्ट्रीय युवा योजना, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. (विश्व प्रकृति निधि, भारत), नेचर क्लब, इको क्लब, स्वच्छता प्रकोष्ठ की इकाईयाँ सक्रिय रूप से शैक्षणेत्तर कार्यों से जुड़े हुये हैं। वर्तमान में महाविद्यालय के प्राचार्य का दायित्व डॉ. पी.सी. घृतलहरे अक्टूबर 2010 से संभाल रहे हैं।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा की नीति
(*Higher Education Policy*)

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की युवा पीढ़ी के अकादमिक स्तर को बढ़ाना।
- शैक्षणिक अमले की पूर्ति कर नियंत्रण रखना।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
- उच्च शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु निजी विश्वविद्यालयों एवं निजी महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षा को रोजगारमूलक बनाने हेतु अधिकाधिक व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू करना तथा विद्यार्थियों के लिये बाजार के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर का सृजन करना।
- सभी वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।
- शैक्षणिक अमले की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु निरंतर रिफरेशर कोर्स में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना / आयोजित करना।
- एन.एस.एस. / एन.सी.सी. आदि पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिये प्रोत्साहित करना तथा नैतिक मूल्यों के साथ व्यक्तिगत विकास के लिये स्वस्थ वातावरण निर्मित करना।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शोध कार्यक्रमों के स्तर को बेहतर बनाने के लिये आवश्यक अध्यादेश परिनियम बनाना।
- राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का भर्ती प्रतिशत बढ़ाने हेतु निरंतर आवश्यक अधोसंरचना का विकास करना।
- शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्ता कायम करने हेतु बेहतर अधोसंरचना जैसे ग्रंथालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों की व्यवस्था करना।
- समाज के बी.पी.एल., एस.टी., एस.सी. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिये विशेष कार्यक्रम लागू कर इन वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाना।
- विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को बरकरार रखते हुये उन पर पर्याप्त नियंत्रण रखना तथा यू.जी.सी. के साथ समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के लाभ प्राप्त कराना।

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 2014-15

(2015-16 के लिये शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संशोधन किया जायेगा वह लागू होगा)

1. **प्रयुक्ति :**

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश" से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. **प्रवेश की तिथि :**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना :**

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी। प्रवेश बोर्ड / वि.वि. द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था से संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन-पत्र जमा किये जावें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों के स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय मे अब प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 **पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-**

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध वि.वि. / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. **प्रवेश सूची :**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर "प्रवेश दिया गया" रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जावे।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल / स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है। उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :

क. बी.कॉम. / बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) / बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम. / एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) / एम.ए. पूर्व प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी. / एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अवेदकों को एल.एल.एम. (प्रथम वर्ष) में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी लागू होगा।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :**

विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा में मा.शि.मं. की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस.सी. / बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि. / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों / विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी / गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय में पूरक / एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम / द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका - 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :

9.1 किसी भी महाविद्यालय / वि.वि. शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो / या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर आरोप हों। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश निरस्त करने / प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र / छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश की आयु सीमा :

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई के आधार में की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय / कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिये 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग एवं विकलांग विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसील / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण

विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र मे प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक सत्रा में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमी परत को छोड़कर) के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियाँ पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड क, ख, तथा ग के अधीन आरक्षित सीटें, अतिमतिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क, ख तथा ग के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क, ख, तथा ग के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों का 10% अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।

12.5 आरक्षित श्रेणी को कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10

प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।

12.8 समय-समय पर शासन पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स / गाईड्स / रेन्जर्स / सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. / ए-सर्टिफिकेट	- 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	- 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	- 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	- 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	- 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	- 10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	- 10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को / चयनित करने अंतर्राष्ट्रीय के लिये वाले विद्यार्थी को	- 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर - 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	- 02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	- 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगित में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा अयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को - 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइंस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में) चयनित एव प्रवास करने वाले दल के सदस्य को - 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग. शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

(क) छ.ग. / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को - 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :**

(क) छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है। बशर्ते कि -

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. **शोध छात्र :**

शासकीय महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगी। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र मे आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए सबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. **विशेष :**

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मागदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसर / संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षाविभाग, मंत्रालय को होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

टीप : शासन द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

प्रवेश संबंधी अन्य आवश्यक जानकारियाँ

प्रवेश तिथि :

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र-छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा।

प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र / छात्रा को 24 घंटे के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क पटाना होगा।

प्रवेश पात्रता :

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र-छात्रा प्रवेश पा सकेंगे -

1. **बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग - 1**

   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. **बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग - 2**

   क. बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग - 1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. **बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग - 3**

   क. बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग - 2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

4. **एम.ए. एवं एम.कॉम. पूर्व**

   क. विश्वविद्यालय की बी.ए., बी.कॉम. या बी.एस.सी. भाग - 3 परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

5. **एम.ए. एवं एम.कॉम. अंतिम**

   क. विश्वविद्यालय की एम.ए. एवं एम.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

प्रवेश नियम (Admission Rules) :

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।

2. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(1) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate) मूल एवं एक अतिरिक्त सत्यापित

(2) अंकसूची (10वीं बोर्ड से लेकर अंतिम परीक्षा तक दो प्रतियों में) में राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि / फोटो स्टेट कापी।

(3) चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) मूल एवं एक अतिरिक्त सत्यापित

नियमित छात्रों को पूर्व के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिए किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।

(4) प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल प्रति मूल प्रति गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिए।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पडने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के तीन चित्र।

(7) जाति प्रमाण पत्र केवल अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्म तिथि प्रमाप पत्र इसके लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी.

(9) छात्र / छात्रा तथा माता-पिता द्वारा रैगिंग संबंधी शपथ पत्र देना अनिवार्य है।

नोट : 1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रो को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।

4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से सबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते हैं।

5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दें।

6. जिस छात्र का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र / परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिए।

7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिये जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र / छात्रा को पांच रूपये नान ज्युडिशियर स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।

8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

परिचय पत्र (Identity Card) :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय के छात्राओं के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र / छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।

2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा, ताकि प्रवेश के साथ परिचय पत्र भी छात्रा को प्राप्त हो सके।

3. परिचय पत्र को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र-छात्राओं का कर्तव्य है।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।
7. परिचय पत्र खो जाने पर 10/- रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्रप्त किया जा सकेगा, परन्तु नया परिचय-पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

शुल्क विनियम :

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।
2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।
3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।
5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोड़ने हेतु नियम :

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।
(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।
(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।
(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।
(च) निःशेष प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
(छ) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या आचरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/- रूपये जमा करना होगा।
(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। सावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।

विश्वविद्यालय नामांक : (नवीन छात्र / छात्राओं हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्रा का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्राओं के लिए नामांकन एवं परीक्षा फार्म पृथक से स्वशासी प्रकोष्ठ में उपलब्ध होगा जिसे छात्राओं को स्वयं प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण - संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी. / एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा सम्बंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति से सम्मुख करेंगे।

शास. महाविद्यालय खरसिया
रे समस्त अतिथियों, अभिभावक एवं छात्र/छ

NCC
2GG Bn NCC RAIGARH

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय

1. **बी.ए. प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम -**

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

   ब. पर्यावरण विज्ञान

   स. ऐच्छिक विषय - निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें।

   वि.वि. द्वारा परिवर्तन संभावित है।

   1. समाज शास्त्र 2. अर्थशास्त्र

   3. राजनीति शास्त्र 4. इतिहास

   5. हिन्दी साहित्य 6. भूगोल

   बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनो वर्षो के लिये विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. **बी.ए. द्वितीय का पाठ्यक्रम**

   बी. पूर्व में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. प्रारंभिक में लिये गये थे।

3. **बी.ए. तृतीय का पाठ्यक्रम**

   बी.ए. तृतीय में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. पूर्व में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय समूह के अंतर्गत हो।

विज्ञान संकाय

1. **बी.एस-सी. प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम (गणित समूह) -**

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

   ब. पर्यावरण विज्ञान

   स. ऐच्छिक विषय - निम्नलिखित विषय समूहों में से कोई एक समूह -

   1. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित

2. **बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष (गणित समूह)**

   बी.एस-सी. प्रथम वर्ष के लिये गये विषय ही लेना होगा।

3. **बी.एस-सी. तृतीय वर्ष (गणित समूह)**

   बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष में लिये गये विषय ही लेना होगा।

4. **बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (बायोलाजी समूह)**

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

   ब. पर्यावरण विज्ञान

   स. ऐच्छिक विषय - निम्नलिखित विषय समूहों में से कोई एक समूह -

   1. रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान

5. **बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष (बायोलाजी समूह)**

बी.एस-सी. प्रथम वर्ष के लिये गये विषय ही लेना होगा।

6. **बी.एस-सी. तृतीय वर्ष (बयोलाजी समूह)**

बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष में लिये गये विषय ही लेना होगा।

वाणिज्य संकाय

1. **बी.कॉम. प्रथम वर्ष**

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधारभूत पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
ब.	पर्यावरण विज्ञान		
स.	अनिवार्य समूह	-	1. वित्तीय लेखांकन एवं व्यावसायिक गणित
			2. व्यवसायिक संचार एवं व्यावसायिक निगमन रूपरेखा
			3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. **बी.कॉम. द्वितीय वर्ष**

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधारभूत पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
ब.	अनिवार्य समूह	-	1. निगमित लेखा एवं लागत लेखांकन
			2. व्यावसायिक सांख्यिकीय एवं उद्यमिता के तत्व
			3. व्यवसाय प्रबंध एवं कम्पनी अधिनियम

3. **बी.कॉम. तृतीय वर्ष**

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधारभूत पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
ब.	अनिवार्य समूह		वैकल्पिक
	1. आयकर (प्रत्यक्ष कर)		1. वित्तीय प्रबंध
	2. अप्रत्यक्ष कर		2. वित्तीय बाजार संचालन
	3. प्रबंधकीय लेखांकन		3. अंकेक्षण

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान

स्नातक :

1.	बी.एस.सी.	-	140
	जीव विज्ञान समूह - 90		
	गणित समूह - 50		
2.	बी.काम.	-	60
3.	बी.ए.	-	240

स्नातकोत्तर :

4.	एम.ए. (हिन्दी साहित्य)	-	40
5.	एम.ए. (राजनीति शास्त्र)	-	40
6.	एम.ए. (समाज शास्त्र)	-	40
7.	एम.ए. (अर्थशास्त्र)	-	40
8.	एम.ए. (इतिहास)	-	40
9.	एम.काम. पूर्व	-	20
10.	एम. एस- सी. रसायन	-	25

महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध सुविधायें

1. **शैक्षणिक संरचनात्मक सुविधायें :**

- सुसज्जित अध्यापन कक्ष।
- पूर्ण सुसज्जित व्याख्यान कक्ष : एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्टर, टी.वी., सी.आर., सी.डी. प्लेयर, स्लाईड प्रोजेक्टर आदि सुविधा उपलब्ध।
- आधुनिक उपकरणों से पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालायें।
- कम्प्यूटर प्रयोगशाला।
- वानस्पतिक उद्यान।

2. **ग्रंथालय / वाचनालय :**

- पाठ्य एवं संदर्भ ग्रंथों से सुसज्जित संपन्न ग्रंथालय।
- समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएं एवं शोध पत्रिकाएं, जर्नल्स की उपलब्धता।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क बुक बैंक की पुस्तकें।
- प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बंधी पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं।
- सुसज्जित वाचनालय।
- पिछले वर्षों के वि.वि. परीक्षाओं के प्रश्नपत्र।
- चुने हुये शैक्षणिक वीडियो कैसेट्स एवं सी.डी.।

3. **खेलकूद :**

- खेल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रशासनिक कक्ष।
- विस्तृत सभागार सह टी.टी. खेल हाल एवं जिम्नेजियम।
- खेल-मैदान : खो-खो, कबड्डी, बालीबॉल, हैंडबाल, बास्केटबाल, बैडमिंटन, हॉकी, सह 200 मीटर ट्रेक एवं मिनी स्टेडियम।

4. **पेयजल एवं प्रसाधन :**

- शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था
- छात्र / छात्रा, पुरूष / महिला, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये पृथक-पृथक प्रसाधन व्यवस्था।

5. **छात्रवृत्तियां एवं शिष्य वृत्तियां**

1. अनुसूचित जाति-जनजाति (एस.सी.-एस.टी.) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) को दी जाने वाली शिष्य वृत्तियाँ।
2. गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) छात्रवृत्तियाँ।
3. प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिये शासकीय छात्रवृत्तियां।
4. शारीरिक रूप से निःशक्तजन (फिजिकली चैलेन्ज) हेतु छात्रवृत्तियाँ।
5. स्वास्थ्य परीक्षण
6. बीमा सुविधा
7. युवा रेडक्रास सोसायटी
8. फर्स्ट एड सुविधा

9. फीस काउन्टर सुविधा
10. शिकायत पेटी (छात्र-छात्राओं हेतु)
11. प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य हेतु सुविधा
12. अतिथि व्याख्यानमाला का आयोजन
13. शैक्षणिक भ्रमण
14. सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु मंच (स्टेज) की सुविधा
15. विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार
16. जनभागीदारी समिति की उपस्थिति तथा कार्यों के कारण दी जाने वाली सुविधाएं
17. अनुशासन समिति एवं विद्यार्थियों के उत्पीड़न प्रकोष्ठ गठित होने के कारण प्राप्त होने वाली सुरक्षा
18. एंटीरैगिंग कमेटी के विद्यार्थियों की सुरक्षा
19. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
20. महिला उत्पीड़न समाधान समिति
21. छात्रा कामन रूम
22. अनु. जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ
23. मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं पूर्व वार्षिक स्थानीय परीक्षा
24. संगोष्ठी, परिचर्चा एवं समूह चर्चाओं का आयोजन
25. सूचना का अधिकार
26. ट्रेनिंग, प्लेसमेंट हेतु एम्प्लायमेंट सेल
27. विश्वविद्यालय संबंधी आवश्यक प्रपत्रों की सुविधा
28. नोटिस बोर्ड
29. आचरण संहिता
30. वृक्षारोपण एवं गमलों की व्यवस्था
31. अकादमिक कलेण्डर 2015-2016
32. टाईम टेबल
33. पूर्वविद्यार्थी परिषद (एलूमनी एशोसिएशन)
34. प्रकाशन प्रकोष्ठ (पब्लिकेशन सेल)
35. एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना)
36. एन.सी.सी. (राष्ट्रीय छात्र सेना)
37. एन.वाय.पी. (राष्ट्रीय युवा परियोजना) एच्छिक
38. डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. - इण्डिया (वर्ल्ड वाईड फन्ड फार नेचर इण्डिया)
39. फोटोकापी, एस.टी.डी., पैफ्रस्त, स्टेशनरी (छात्रहित में रियायती दर पर सुलभ सुविधा)
40. कैन्टिन सुविधा
41. अनु.जाति, जनजाति के लिये छात्रावास सुविधा
42. वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं युवा उत्सव

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियाँ

शुल्क में छूट / रियायत :

शासन में प्रचलित नियमानुसार विद्यार्थियों को शुल्क में रियायत निम्नानुसार उपलब्ध होगी :-

1. **निर्धन विद्यार्थियों के लिये :-** सीमित संख्या में पूर्ण / अर्धपूर्ण शिक्षण शुल्क में छूट प्राचार्य निर्धन एवं योग्य छात्रों को दे सकेंगे। इसके लिए छात्रों को निर्धारित प्रपत्र में 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने / आचरण दोष पाये जाने पर प्राचार्य द्वारा यह छूट / रियायत तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
2. **भाई बहन के लिये :-** यदि दो या अधिक भाई-बहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तो उनमें से बड़े को पूर्ण शुल्क एवं शेष छोटों को आधा शुल्क देना होगा।
3. **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के लिये :-** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे। इन विद्यार्थियों को शासन द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारी / तहसीलदार द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. **तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी के संतान के लिये :-** शासन के निर्देशानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को माता पिता द्वारा किये जा रहे शासकीय सेवा प्रमाण पत्र एवं वेतन / आय प्रमाण-पत्र महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।
5. **छात्राओं के लिये :-** शासन के आदेशानुसार समस्त छात्राओं को स्नातकोत्तर स्तर तक पूरे सत्र का शैक्षणिक एवं प्रायोगिक शुल्क माफ रहेगा, किन्तु अन्य शुल्क देय होगा।

छात्रवृत्तियाँ :

महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध है, जो कि प्रत्येक सत्र में देय होगी, जिनका विवरण / जानकारी निम्नानुसार है :-

1. शिक्षकों (प्राथमिक / माध्यमिक) के बालकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
2. निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति (छात्र कल्याण परिषद् द्वारा)
3. एकीकृत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (पुनरीक्षित नियमानुसार) निम्न प्रकार की उपलब्ध होगी :-

   1. संगीत तथा कला छात्रवृत्ति
   2. राष्ट्रीय छात्र सेना (सीनियर) छात्रवृत्ति
   3. स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति
   4. स्नातक योग्यता एवं साधन शिष्यवृत्ति
   5. स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति
   6. स्नातकोत्तर योग्यता एवं साधन शिष्यवृत्ति
   7. निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष छात्रवृत्ति के अनुरूप अनुदान
   8. संस्कृति शिष्यवृत्ति
   9. प्रावीण्यता के आधार पर छात्रवृत्ति (61 प्रतिशत के अधिक पर)
   10. निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति (छात्र कल्याण परिषद् द्वारा)

जो विद्यार्थी जिस छात्रवृत्ति की पात्रता रखता है वह कार्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रवेश मिलते ही आवेदन पत्र भरकर आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित जुलाई माह में कार्यालय में जमा करें ताकि समय पर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जा सके।

क्रीड़ा:

महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों की सुविधाएँ हैं : 1. फुटबाल, 2. क्रिकेट, 3. हॉकी, 4. वॉलीबाल, 5. टेबल टेनिस, 6. बेडमिंटन, 7. कबड्डी, 8. खो-खो एवं एथलेटिक्स। साथ ही आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित व्यायामशाला (जिम) की सुविधा।

विद्यार्थियों को शासकीय / विश्वविद्यालयीन नवीनतम नियमों / निर्देशों के अनुसार अंतर्महाविद्यालयीन / अंतर्विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अवसर उपलब्ध है।

एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) :

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की एक एन.एस.एस. इकाई कार्यरत है, जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत एवं किसी भी प्रकार के समानुकूल समाज सेवा कार्य करते हैं। दस दिवसीय वार्षिक शिविर भी आयोजित होता है। 240 घंटे का राष्ट्रीय सेवा योजना कार्य पूर्ण होने पर, विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। एन.एस.एस. में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र विद्यार्थी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजन कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

एन.सी.सी. :

महाविद्यालय में एन.सी.सी. का छात्र-छात्राओं की एक यूनिट कार्यरत है, जिसका संचालन / प्रशिक्षण, छ.ग. एन.सी.सी. बटालियन, रायगढ़ द्वारा किया जाता है। कैडेट्स बी और सी प्रमाण-पत्र परीक्षाओं में बैठ सकते हैं तथा वार्षिक / ग्रीष्मकालीन / विशिष्ट शिविरों में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाज सेवा का कार्य भी संपादित होता है। स्वीकृत सीट की संख्या 107 है।

एन.सी.सी. में प्रवेश हेतु फार्म प्रभारी अधिकारी एन.सी.सी. से प्राप्त किये जा सकते हैं।

पुस्तकालय :

अ. प्रत्येक विषय के स्नातकोत्तर विभागों से संबंधित विषय का पुस्तकालय, केन्द्रीय ग्रंथालय में तथा हिन्दी विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का पुस्तकालय अलग से हिन्दी विभाग में है जहाँ से विद्यार्थी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।

ब. स्नातक शिक्षा के विद्यार्थियों को पन्द्रह दिन में एक बार दो पुस्तकें केन्द्रीय पुस्तकालय से निर्गमित की जाती हैं, पुस्तकें निर्धारित समय पर वापस नहीं किये जाने पर एक रूपया प्रतिदिन की दर से दण्ड देय होगा।

स. वाचनालय में समयानुकूल उत्तम पत्र / पत्रिकाएँ सामान्य ज्ञान एवं रूचि की एवं शोध पत्र-पत्रिकायें पढ़ने हेतु उपलब्ध रहती है।

टीप :-

1. वाचनालय/पुस्तकालय में शांति भंग करने, सामग्री को नुकसान पहुंचने वाले विद्यार्थी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है।

2. विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त वर्तमान सत्र का परिचय पत्र (आई कार्ड) दिकाने पर ही पुस्तकें निर्गमित की जावेगी।
3. महाविद्यलय में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी एवं युवाओं के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ग्रंथों की विशेष संग्रह विकसित की जा रही है। विद्यार्थीगण इससे लाभन्वित होंगे।
4. महाविद्यलय में सुप्रसिद्ध लेखकों पर बनी सी.डी. (ऑडियो वीडियो) का संग्रह किया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र में दस्तावेजीकरण की जरूरत एवं महत्व को ध्यान में रखते हुये साहित्य अकादमी भारत ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखकों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की एक परियोजना आरंभ की है। सभी फिल्में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों या उन लेखकों द्वारा बनाई गयी है, जो उस रचनाकार के काम से परिचित हैं। रचनात्मक दस्तावेजीकरण की यह कीमती सौगात किसी भी निजी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के ग्रंथालयों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थीगण वीडियो-फिल्मों तथा सी.डी. के तहत् सर्व श्री विष्णु प्रभाकर (हिन्दी), बाबा नागार्जुन (मैथिली - हिन्दी), धर्मवीर भारती (हिन्दी), मुल्कराज आनंद (अंग्रेजी), त्रिलोचन शास्त्री (हिन्दी), शशि देशपाण्डेय (अंग्रेजी), केदारनाथ सिंह (हिन्दी), खुसवंत सिंह (अंग्रेजी), कुंवरनारायण (हिन्दी), यशपाल (हिन्दी), निर्मल वर्मा (हिन्दी), विद्यानिवास मिश्र (संस्कृत-हिन्दी), वेकी. एन. दारूवाला (अंग्रेजी), अरूण कोलहटकर (अंग्रेजी-मराठी), रस्किन बॉण्ड (अंग्रेजी), कमलेश्वर (हिन्दी), कमला दास (अंग्रेजी - मलयालम) इत्यादि का शैक्षणिक लाभ ले सकते हैं।

बुक बैंक :

शासन की सहायता से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये महाविद्यालय में बुक बैंक गठित है, जहाँ से विद्यार्थियों को एक संपूर्ण सत्र के लिये निःशुल्क पुस्तकें निर्गमित की जाती है। विद्यार्थियों को इस हेतु ग्रंथपाल से आवश्यक प्रपत्र प्राप्त कर भरना पड़ता है एवं जाति प्रमाण पत्र / परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। पुस्तकें खो जाने, क्षतिग्रस्त होने पर विद्यार्थी को उसकी पूर्ति करनी आवश्यक है।

निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष :

शासन द्वारा निर्मित नियमों / निर्देशों के अनुरूप इस कोष की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य निर्धन/जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक / लघु आवश्यकताओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

परिचय पत्र :

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर परिचय पत्र संबंधित परिचय पत्र प्रभारी प्राध्यापक/प्राचार्य से बनवाना अनिवार्य है। महाविद्यालय परिसर में आयोजित विविध गतिविधियों / कार्यक्रमों / अवसरों पर प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। (परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही ग्रंथालय से पुस्तकें निर्गमित की जावेगी।

सायकल स्टैण्ड :

महाविद्यालय परिसर में सायकल स्टैण्ड की व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थी को सायकल स्टैण्ड में ही सायकल रखना अनिवार्य

है। अन्य स्थान पर सायकल रखना महाविद्यालय अनुशासन के विपरीत कार्य माना जावेगा एवं सायकल गुम / चोरी होने पर महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। सायकल स्टैण्ड में सायकलों की रखवाली एवं रखरखाव हेतु पूरे सत्र के लिये विद्यार्थी को रूपये 100.00 शुल्क कार्यालय में जमा करना होगा। सायकलों की रक्षा हेतु एक विशेष व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक सायकल / मोटर सायकल / मोपेड, स्कूटर आदि में ताल होना अनिवार्य है अन्यथा चोरी होने पर पूर्ण जिम्मेदारी छात्र की होगी।

भैषजिक परीक्षण :

महाविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को भैषजिक परीक्षण कराना होगा। यह जांच किसी चिकित्सक द्वारा प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर की जावेगी।

उपस्थिति :

प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति, प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। खेलकूद / सांस्कृतिक गतिविधियों एवं अन्य विशेष कारणों से प्राचार्य उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान कर सकते हैं किन्तु किसी भी परिस्थिति में 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर परीक्षा आवेदन पत्र, परीक्षा प्रवेश पत्र एवं परीक्षा परिणाम निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

सूचना का अधिकार :

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रशासन में पारदर्शिता के दृष्टिकोण से सूचना का अधिकार सामान्य नागरिकों को महाविद्यालय में प्रदान किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत कोई भी नागरिक आवेदन देकर एवं निर्धारित शुल्क जमा कर महाविद्यालय के निम्नलिखित अभिलेखों का अवलोकन कर सकता है एवं संबंधित अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर सकता है।

1. महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी सूची / रजिस्टर / अन्य संबंधित अभिलेख
2. छात्रावास में प्रवेश संबंधी सूची / रजिस्टर / अन्य संबंधित अभिलेख
3. छात्रवृत्ति स्वीकृति की सूची / रजिस्टर / अन्य संबंधित अभिलेख
4. ग्रंथालय की पुस्तकों / बुक बैंक की पुस्तकों की सूची / रजिस्टर / अन्य संबंधित अभिलेख
5. कार्यालय / संस्था में उपलब्ध भंडार पंजी।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिये विशेष परिनियम :

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा है।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :
   - अ. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चाँटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना।
   - ब. मानसिक आघात जैसे मानसिक कलेश पहुँचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना।
   - स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना।
   - द. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असमाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि।
4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्रावटोरियल बोर्ड को सौंपेंगे। इस में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य / कुलपति द्वारा मनोनीत किया जायेंगे। इस हेतु प्रावटोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहूत की जायेगी। बैठक की सूचना, सूचना बोर्ड में मनोनीत वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे।
5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।
6. प्रावटोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र के निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा।
   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन।
   2. राज्य की किसी भी महाविद्यालय या / एवं विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।
   3. दोषी छात्र को दंड के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।
   5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायलय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही [illegible] चार्य / कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
   6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस की सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।

   इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा।

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2002

1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था में प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा-4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था के निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

3) ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक सी/455/21-अ (प्रारूपण)/2002 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्र. 27 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार

टी.सी. यूद. - अतिरिक्त सचिव

महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध होने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण :

छात्रवृत्ति का प्रकार तथा अर्हकारी	छात्रवृत्ति किस कक्षा का	अवधि	दर	अन्य अर्हताएं शर्त
भाग-1 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां				
1. प्राथमिकता एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षक के बच्चों के लिये				
अ. छ.ग.मा.शि.म. की परीक्षा 10+2 पैटर्न की हाईस्कूल (10वीं)	11,12वीं कक्षा के लिये	02 वर्ष	रू. 75/- छात्रावासी गैर छात्रावासी	मा.शि.म.छ.ग. की 10वीं परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने पर साधन परीक्षा के अंतर्गत
ब. म.मा.शि.म. परीक्षा 10+2, 10+2 पाठ्य पैटर्न की हायर सेकेण्डरी (12वीं परीक्षा के आधार पर)	प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम	03 वर्ष	रू. 75/- छात्रावासी रू. 50/- गैर छात्रावासी	मा.शि.म.छ.ग. की 12वीं परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने पर साधन परीक्षा के अंतर्गत
भाग-2 एकीकृत छात्रवृत्तियां			रू. 110/- छात्रावासी रू. 50/- गैर छात्रावासी	?
1. शोधछात्रवृत्ति : मानविकी - 03 वाणिज्य - 01 (साक्षात्कार) उपरान्त किया हो) य न किया हो।	विज्ञान समूह	36 माह	रू. 600/- प्र.मा. गैर छात्रावासी में शोध कार्य के लिये पंजी (आर.डी.सी.) में	1. छ.ग. में किसी भी वि.वि.
2. स्नातक उपाधि में कम से कम 55% अंक प्राप्त किये हो				
3. एम.फिल छात्रवृत्ति :	विज्ञान समूह -02 विज्ञान समूह -03 वाणिज्य -01	10 माह	रू. 300/- प्र.मा. गैर छात्रावासी	1. उपाधि परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किये हो।
3. स्नातकोत्तर योग्यता :	विज्ञान समूह -14 विज्ञान समूह -09 वाणिज्य -04	20 माह	रू. 250/- प्र.मा. गैर छात्रावासी	वर्ष 2002-03 की उपाधि परीक्षा में कम से कम 55% किये हो।

4. स्नातकोत्तर योग्यता : (सह साधनशिष्यावृत्ति)	विज्ञान समूह -14 विज्ञान समूह -09 वाणिज्य -04	20 माह	रू. 250/- प्र.मा. गैर छात्रावासी	1. वर्ष 2002-03 की उपाधि परीक्षा में कम से कम 55% प्राप्त किये हो।
5. खेल-कूद छात्रवृत्ति : छात्र - 04 छात्राएँ - 04		10 माह	रू. 150/- प्र.मा. गैर छात्रावासी	संबंधित वि.वि. के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार

प्रतिभाशाली विधार्थियों के लिये विभिन्न प्रोत्साहन उपागम विशिष्ट पुरस्कार / सम्मान / सहायता

महाविद्यालय के अकादमिक उत्कृष्टता तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों में विशेष योग्यता हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु महाविद्यालय द्वारा कुछ प्रतिष्ठित पुरूस्कारों की स्थापना की गई है।

क्र.	पुरूस्कार का नाम	पुरूस्कार हेतु वांछित योग्यता	पुरूस्कार का स्वरूप
1.	मेजर ध्यानचंद स्मृति पुरूस्कार	महाविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी छात्र-छात्रा	पदक
2.	राष्ट्रीय सेवा योजना प्राचार्य द्वारा	राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक छात्र-छात्रा	पदक
3.	राष्ट्रीय कैडेट कोर डॉ. आर.के. टण्डन द्वारा	सर्वश्रेष्ठ कैडेट - राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्र-छात्रा	बेटन
4.	पं. हरिहर प्रसाद शास्त्री स्मृति पुरूस्कार डॉ. हीरा लाल शर्मा द्वारा	एम.ए. अंतिम हिन्दी साहित्य सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र-छात्रा	1001/- नकद एवं प्रमाण-पत्र
5.	श्री पी.एल. पटेल मेमोरियल प्राईज प्रो. बी.के. पटेल के द्वारा	स्नातक स्तर पर आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र-छात्रा	1001/- नकद एवं प्रमाण-पत्र

गतिविधियाँ समितियों के उद्देश्य

एन.सी.सी. समिति	राष्ट्रीय सेवा योजना समिति	खेल समिति	सांस्कृतिक समिति	साहित्य समिति
• आर्मी में जाने हेतु नवीन जानकारी विकास	• व्यक्तित्व का विकास	• व्यक्तित्व का विकास	• आत्मविश्वास पैदा करना	• सृजनात्मक प्रतिभा का विकास
• नेतृत्व के गुण एवं आत्म विश्वास	• सामाजिक दायित्व, चेतना की भावना	• खेलों के प्रति रुचि	• नृत्य, संगीत आदि के प्रति प्रेरित	• पठन एवं लेखन के प्रति रुचि
• स्वप्रेरित अनुशासन एवं देशप्रेम जागरूक करना	• स्वप्रेरित अनुशासन एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदना	• खेल उपलब्धियों के माध्यम से रोजगारों में प्रभावोत्पादकता करना	• विभिन्न सांस्कृतिक कार्य - कार्यक्रमों के प्रति प्रेरित	• साहित्य के प्रति रुचि
• प्रकृति, पर्यावरण एवं विज्ञान	• व्यावसायिक मार्गदर्शन समिति विस्तार गतिविधियाँ	• नैतिकता व मानवता समिति वाणिज्य समिति		• व्यक्तित्व का विकास
• पर्यावरण के प्रति जागरूकता	• व्यवसाय के लिये प्रेरित वर्गों के प्रति संवेदना	• समाज के अवहेलित		• व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी
• प्रकृति के प्रति रुचि	• रोजगार संबंधी एवं उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नवीन जानकारी	• त्याग एवं मानव सेवा की भावना जागृत करना		• समसामयिक विषयों पर व्याख्यान
• विज्ञान की नवीन जानकारी	• आत्मनिर्भरता के बारे में जागरूकता	• अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम आदि संस्थाओं से परिचय		

टीप : प्रत्येक छात्र / छात्रा को एक गतिविधि समिति का सदस्य बनना आवश्यक है।

शुल्क विवरण
FEE DETAILS

क्र.	शासकीय शुल्क	B.A. / B.Com.		B.Sc. Biology / Maths		M.A.	
1.	प्रवेश शुल्क	3	3	3	3	3	3
2.	शिक्षण शुल्क	115	115	115	115	26	26
3.	प्रयोग शाला शुल्क	-	-	20	20	-	-
4.	स्टेशनरी शुल्क	2	2	2	2	2	2
5.	पुन: प्रवेश शुल्क 10/–						
	योग	120	120	140	140	131	131
	अशासकीय शुल्क						
6.	सम्मिलित निधि शुल्क	32	32	32	32	32	32
7.	वाचनालय	40	40	40	40	40	40
8.	विकास शुल्क	100	100	100	100	100	100
9.	छा.क.प. स्नेह सम्मेलन	25	25	25	25	25	25
10.	छात्र कल्याण परिषद	2	2	2	2	2	2
11.	परिचय पत्र	10	10	10	10	10	10
12.	अवधान राशि	100	-	100	-	100	-
13.	चिकित्सा शुल्क	5	5	5	5	5	5
14.	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	5	5	5	5	5	5
15.	वि.वि. नामांकन शुल्क	60	-	60	-	-	-
16.	वि.वि. छात्र कल्याण	10	10	10	10	10	10
17.	विभागीय शुल्क	-	-	-	-	-	20
18.	वि.वि. पुस्तकालय	20	20	20	20	20	20
19.	शारीरिक कल्याण शुल्क	150	150	150	150	150	150
20.	युवा उत्सव	2	2	2	2	2	2
21.	युवा गतिविधि	1	1	1	1	1	1
22.	जनभागीदारी शुल्क	200	200	200	200	200	200
23.	महाविद्यालयीन पत्रिका	40	40	40	40	40	40
24.	रेडक्रास शुल्क	25	25	25	25	25	25
25.	नैक पुन: प्रत्यापन एवं मूल्यांकन	25	25	25	25	25	25
26.	स्थानीय परीक्षा	30	30	30	30	30	30
27.	सायकल स्टेण्ड	100	100	100	100	100	100
28.	विद्यार्थी दिवस आयोजन शुल्क	25	25	25	25	25	25
	योग	1007	847	1007	847	1007	867

प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक / अधिकारी सूची

प्राचार्य

डॉ. पी.सी. घृतलहरे

प्राचार्य

कला संकाय

हिन्दी विभाग	प्राध्यापक	-	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	-	प्रो. डी. के. अम्ब्रेला (विभागाध्यक्ष)
	सहायक प्राध्यापक	-	डॉ. श्रीमती रवीन्द्र चौबे
	सहायक प्राध्यापक	-	डॉ. आर.के. टण्डन
अंग्रेजी	सहायक प्राध्यापक	-	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	-	शासकीय संविदा सहा. प्राध्यापक
अर्थशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	-	शासकीय संविदा सहा. प्राध्यापक
इतिहास	प्राध्यापक	-	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	-	श्री एम.एल. धीरही (विभागाध्यक्ष)
समाज शास्त्र	प्राध्यापक	-	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	-	डॉ. सुशीला गोयल (विभागाध्यक्ष)
राजनीति शास्त्र	प्राध्यापक	-	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	-	डॉ. पी.एल. पटेल (विभागाध्यक्ष)
	सहायक प्राध्यापक	-	शासकीय संविदा सहा. प्राध्यापक

वाणिज्य संकाय

प्राध्यापक	-	रिक्त
सहायक प्राध्यापक	-	श्री मनोज कुमार साहू (विभागाध्यक्ष)
सहायक प्राध्यापक	-	शासकीय संविदा सहा. प्राध्यापक

विज्ञान संकाय

भौतिक शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	-	श्री कश्मीर एक्का (विभागाध्यक्ष)
वनस्पति शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	-	श्री अश्विनी पटेल (विभागाध्यक्ष)
प्राणी शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	-	श्रीमती सरला जोगी (विभागाध्यक्ष)
गणित	सहायक प्राध्यापक	-	रिक्त
रसायन शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	-	शासकीय संविदा सहा. प्राध्यापक
	सहायक प्राध्यापक	-	शासकीय संविदा सहा. प्राध्यापक

क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा

क्रीड़ा अधिकारी	-	डॉ. आर.के. टण्डन (प्रभारी)

ग्रंथालय एवं सूचना विभाग

ग्रंथपाल	-	रिक्त

टीप : रिक्त पदो पर शासन द्वारा शासकीय संविदा प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाती है।

महाविद्यालयीन कर्मचारियों की सूची

कार्यालय

1. श्री यू.एस. टोण्डे (मुख्य लिपिक / सहा. ग्रेड-2)
2. श्री संजय गुप्ता (सहा. ग्रेड-3)
3. श्री मदन मल्होत्रा (डाटा एण्ट्री ऑपरेटर)
4. श्री आर.के. साहू (सहा. ग्रेड-3)

प्रयोगशाला शिक्षक (तकनीशियन)

1. श्री एस.के. मेहरा (रसा. विज्ञान)
2. श्री एस.एल. पोर्ते (भौतिक विज्ञान)
3. श्री डी.के. नागरे (वनस्पति विज्ञान)
4. श्री गोपेश कुमार पाण्डेय (प्राणीशास्त्र/भूगोल)

प्रयोगशाला परिचारक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण

1. रिक्त
2. ~~श्री बसंत राम~~
3. श्री लक्ष्मण कुमार सिदार
4. श्री विमल कुमार निकुंज
5. श्री संदीप शर्मा

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण

1. श्री प्रेम राय कश्यप (भृत्य)
2. श्री जायसवाल (भृत्य)
3. श्री गोवर्धन दास महंत (भृत्य)
4. श्री अरूप कुमार यादव (बुक लिफ्टर)
5. रिक्त
6. श्री लखनलाल भारती (चौकीदार)

जनभागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारीगण (चतुर्थ श्रेणी)

1. श्री सौवरी लाल बरेठ (अस्थायी / संविदा भृत्य)
2. श्रीमती समारिन बाई बरेठ (अस्थायी / संविदा परिचायिका)
3. श्री शिवकुमार (अस्थायी / संविदा केयरटेकर - सायकल स्टैण्ड)
4. श्री रुद्र कुमार साहिया

जनभागीदारी समिति

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार गठित जनभागीदारी समिति इस संस्था के सर्वांगीण विकास में सक्रिय एवं सफल भूमिका अदा कर रही है। इस प्रकार महाविद्यालयीन विकास में जन प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों का निःस्वार्थ सहयोग एवं कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

वर्तमान में संचालित जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री धनराय यादव अपने युवा एवं कर्मठ सदस्यों के साथ मिलकर संस्थानान्तर्गत शैक्षणिक कार्यक्रम एवं संरचनात्मक विकास की दिशा में योजनाबद्ध तरीकों से अनेकों कार्य सम्पादित करा रहे हैं।

1.	श्री धनराय यादव	-	अध्यक्ष
2.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पदेन उपाध्यक्ष	-	उपाध्यक्ष
3.	सांसद सदस्य, रायगढ़ / नामांकित प्रतिनिधि	-	
4.	विधायक खरसिया / नामांकित प्रतिनिधि	-	
5.	श्री राजेन्द्र मिरानी	-	सदस्य
6.	श्री कमल अग्रवाल	-	सदस्य
7.	श्री कमल गर्ग	-	सदस्य
8.	श्री बजरंग अग्रवाल	-	सदस्य
9.	श्री राजेन्द्र राठौर	-	सदस्य
10.	श्री शशी भूषण राठौर	-	सदस्य
11.	श्री संतोष यादव	-	सदस्य
12.	श्री बलदेव कुर्रे	-	सदस्य
13.	श्रीमती कौशिल्या अग्रवाल	-	सदस्य
14.	श्रीमती मीरा जयसवाल	-	सदस्य
15.	श्री जयप्रकाश केशरवानी	-	सदस्य
16.	श्री नानक चन्द अम्बवानी	-	सदस्य
17.	प्रबंधक एस.के.एस. / प्रतिनिधि पावर जनरेशन		
18.	प्रबंधक मोनेट / प्रतिनिधि इस्पात एण्ड एनर्जी		
19.	वि.वि. अनुविभागीय आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य		
20.	विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्य		
21.	उपकोषालय अधिकारी		
22.	अनुविभागीय अधिकारी (लो.नि.वि.)		
23.	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. मुरा		
24.	प्रो. मनोज साहू (सहा. प्राध्यापक वाणिज्य)		
25.	डॉ. पी.एल. पटेल	-	प्रभारी प्राध्यापक
26.	डॉ. पी.सी. घृतलहरे	-	प्राचार्य / पदेन सचिव

Cultural Activities

M. G. Govt. College for
Inclusive Growth through Higher Education